

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०सं० :- 3/अ०प्र०-1-166/2019(पार्ट) 1593 /पटना, दिनांक :- 12.7.23

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया के अधीन LO-141 थवईया-सिखईया पथ निर्माण कार्य में भुगतान के विरुद्ध कम कार्य कराने, स्वीकृत प्राक्कलन के विपरीत एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराने के आरोप में श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेतिया को विभागीय अधिसूचना संख्या-40-सह-पठित ज्ञापांक 41 दिनांक 03.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय संकल्प संख्या-1002 दिनांक 28.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता-2-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4277 अनु० दिनांक 28.08.2020 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

3. मुख्य अभियंता-2-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4277 अनु० दिनांक 28.08.2020 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या-544 सह पठित ज्ञापांक-545 दिनांक 12.03.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

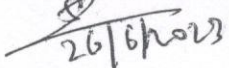
4. श्री सिंह के संदर्भ में मुख्य अभियंता-2-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4277 दिनांक 28.08.2020 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कहलगाँव को विभागीय अधिसूचना संख्या-1524 सह पठित ज्ञापांक -1525 दिनांक 15.09.2022 द्वारा प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया गया है।

5. श्री सिंह द्वारा निलंबन अवधि का विनियमन करने एवं इस अवधि का बकाया वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु अभ्यावेदन दिनांक 26.09.222 समर्पित किया गया। अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया के निलंबन अवधि (दिनांक 03.01.2020 से दिनांक 12.03.2021) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11(3) एवं (4) के तहत निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है:-

(i) निलंबन अवधि दिनांक 03.01.2020 से दिनांक 12.03.2021 तक अनुमान्य पुरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

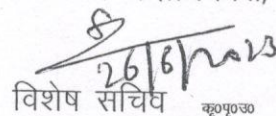


(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ०प्र०-1-166/2019(पार्ट) 1594 /पटना, दिनांक :- 12.7.23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

क०प००३०

ज्ञापांक:- 3/अ0प्र0-1-166/2019(पार्ट)

1594

/पटना, दिनांक :- 12.7.33

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कहलगाँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/2013

विशेष सचिव